क्रम-संख्या–46

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V

Hkkx–1] [k.M ¼d½

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] lkseokj] 17 ekpZ] 2025

QkYxqu 26] 1946 'kd lEor~

mRrj çns'k 'kklu

fo/kk;h vuqHkkx&1

———————

संख्या 48/79-वि-1–2025-1-क-2-2025

लखनऊ, 17 मार्च, 2025

——————

अधिसूचना

fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे चिकित्सा षिक्षा अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 मार्च, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 फरवरी, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 में नयी धारा 12—क का बढ़ाया जाना

2— संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 में, धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"निदेषक की सेवा की अवधि

12—क (1) निदेशक अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैंसठ वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा;

(2) अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निदेशक, जिसने पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, को कुलाध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जा सकती है:

परन्तु यह कि निदेशक कुलाध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याग—पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2025

3—(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य और देश को यथायोग्य प्रशिक्षित तथा उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सक उपलब्ध कराए जाने और पाठ्यक्रम को अद्यतन किए जाने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन विशेष प्रशिक्षण विकसित किए जाने के उद्देश्य से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना का उपबंध करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) अधिनियमित किया गया है।

संस्थान के सुचारू तथा प्रभावी संचालन में संस्थान के निदेशक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पूर्वोक्त अधिनियम में संस्थान के निदेशक के सम्बन्ध में धारा 12 में उपबंध किया गया है। अधिनियम में निदेशक के कार्यकाल, आयु सीमा और कार्यकाल विस्तार के सम्बन्ध में कोई उपबंध नहीं है। उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 12—क को अन्तःस्थापित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2025 को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

546 RPH (SGPGI) 2025 Data 8e

No. 48(2)/LXXIX-V-1–2025-1-ka-2-2025

Dated Lucknow, March 17, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanjai Gandhi Snatkottar Ayurvigyan Sansthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 2025. The Chikitsa Shiksha Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. Act no. 2 of 2025)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of February, 2025.

Insertion of new section 12-A in U.P. Act no. 30 of 1983

2. In the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983, *after* section 12, the following new section shall be *inserted*, namely:-

"Tenure of Service of Director

12-A. (1) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of Sixty-five years, whichever is earlier;

(2) Notwithstanding anything to the contrary in the Act, a Director who has not attained the age of Sixty-five years may be granted an additional tenure not exceeding three years, by the Visitor:

Provided that the Director may by writing under his hand addressed to the Visitor resign from his office, and shall cease to hold his office upon the acceptance by the Visitor of such resignation. "

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 2 of 2025

3. (1) The Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2025, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

546 RPH (SGPGI) 2025 Data 8e

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 (U.P. Act no. 30 of 1983) has been enacted to provide for the establishment of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow with the objective of providing adequately trained and high quality doctors to the State and the Country through teaching and training in the field of medical education and to update the curriculum and develop new special training keeping in mind the future needs.

The role of the Director of the Institute is very important in the smooth and effective functioning of the Institute. In the aforesaid Act provision regarding the Director of the Institute has been provided in section 12. There is no provision mentioned in the Act regarding the tenure, age limit and extension of tenure of the Director. In view of the above it was decided to insert a new section 12-A in the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 2 of 2025) was promulgated by the Governor on February 07, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 546 राजपत्र–2025–(1460)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 200 सा0 विधायी–2025–(1461)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

546 RPH (SGPGI) 2025 Data 8e